

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT
ACT, 1976¹

(U. P. ACT No. 6 OF 1976)

Amended by

U. P. Act No. 18 of 1995

U. P. Act No. 02 of 1999

U. P. Act No. 04 of 2001

U. P. Act No. 20 of 2008

U. P. Act No. 10 of 2016

U. P. Act No. 06 of 2018

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 1, 1976 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 6, 1976.

Received the assent of the Governor on April 16, 1976 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated April 3, 1976.]

AN

ACT

to provide for the constitution of an Authority for the development of certain areas in the State into industrial and urban township and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and extent **1.** (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Definitions **2.** In this Act, —

(a) “amenities” includes ²“roads, bridges, flyovers, underpasses” water supply, street lighting, power supply, sewerage, drainage, collection, treatment and disposal of industrial waste and town refuse ³ “facilities relating to health, education, transport, disaster management, fuel, power public transport, broad band connectivity and gas pipe-lines” and such other community facilities, services or conveniences as the State Government may, by notification, specify to be an amenity for the purposes of this Act ;

(b) “Authority” means the Authority constituted under section 3 of the Act ;

1. For Statement of Objects and Reasons see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated April 16, 1976.

2. *Subs.* by sec. 2 (a) of U. P. Act 10 of 2016.

3. *Add.* by sec. 2 (a) of U. P. Act 10 of 2016.

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1976]

उ० प्र० अधिनियम सं० 18, 1995

उ० प्र० अधिनियम सं० 02, 1999

उ० प्र० अधिनियम सं० 04, 2001

उ० प्र० अधिनियम सं० 20, 2008

उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016

उ० प्र० अधिनियम सं० 06, 2018

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1 अप्रैल, 1976 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 6 अप्रैल, 1976 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अप्रैल, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3 अप्रैल, 1976 ई० को प्रकाशित हुआ।]

राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक और पौर क्षेत्र के रूप में विकास करने के लिए प्राधिकारी का गठन करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अध्याय – 1

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम और
विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2— इस अधिनियम में —

परिभाषाएं

(क) “सुविधा” के अन्तर्गत ² “मार्ग, पुल, उपरिगामी सेतु भूमिगत पारपथ” जल-सम्भरण, सड़क पर रोशनी, विद्युत् सम्भरण, सीवर व्यवस्था, जलोत्सारण, औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ और नगर के कूड़ा-करकट ³ “स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, शिक्षा, परिवहन, आपदा प्रबंधन, ईंधन, पावर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ब्राड बैंड कलेक्टिविटी और गैस पाइप लाइन” का संग्रह, शोधन और निस्तारण और ऐसा अन्य सामुदायिक सौकर्य, सेवा या सुविधा है जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करें ;

(ख) “प्राधिकारी” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी से है ;

1— उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये उत्तर प्रदेशीय सरकारी (असाधारण) गजट, दिनांक 16 अप्रैल, 1976 देखिए।

2— उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 2 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

3— उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 2 (क) द्वारा बढ़ाया गया।

¹[(b-1) “building” includes any structure or erection or part thereof which is used or is capable of being used for any residential commercial, institution all, industrial or for any other like purpose, and the same is occupied or is capable of occupation ;]

(c) “chief Executive Officer” means the officer appointed as such under section 4 ;

²[(c-1) “company” for the purpose of this Act, means any company incorporated under the Companies Act, 2013, or its statutory modification in which the entire paid up share capital is held, directly or indirectly, by the State Government or partly by the State Government and partly by the Central Government ;

(c-2) “development” with its grammatical variations means, carrying on any organized activity over any land or building, including any changes which occur on account of spending of finances and may result in increase of its ratable value and also includes redevelopment;

(c-3) “economic activities” shall include industrial, manufacturing, commercial, financial, processing, packing, logistic, transport, tourism, hospitality, health, housing, entertainment, research and development, education and training, information and communication, management and consultancy, activities and service connected with development and maintenance of amenities and, such other economic activities as may be specified by notification by the State Government ;]

(d) “Industrial development area” means an area declared as such by the State Government by notification ;

³[(d-1) “industrial township” means an industrial township specified as such by notification by the Governor under the proviso to clause (1) of article 243Q of the Constitution of India ;

(d-2) “infrastructure project” means any project undertaken or to be undertaken for the development of infrastructure, amenities, facilities, or service which are required for the smooth and efficient functioning of Special Investments Region or the Industrial Development Area ;]

(e) “Occupier” means a person (including a firm or body of individuals whether incorporated or not) who occupies a site or building within the industrial development area and includes his successors and assigns ;

⁴[(e-1) “Site” means any demarcated portion of land or building or both ;

1. *Ins.* by sec. 2 (b) of U. P. Act 10 of 2016.

2. *Ins.* by sec. 2 (c) of U. P. Act 10 of 2016.

3. *Ins.* by sec. 2 (d) of U. P. Act 10 of 2016.

4. *Ins.* by sec. 2 (e) of U. P. Act 10 of 2016.

(2341)

¹[(ख-1) "भवन" मे कोई संरचना या निर्माण या उसका भाग सम्मिलित है जो किसी आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है या उपयोग में लाये जाने के योग्य है और उस पर कब्जा है या कब्जा किये जाने योग्य है ;]

(ग) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त अधिकारी से है ;

²[(ग-1) "कम्पनी" का तात्पर्य, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित किसी कम्पनी या इसके सांविधिक उपान्तरण से है जिसमें सम्पूर्ण दत्त अंशपूजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार द्वारा धृत है या अंशतः राज्य सरकार द्वारा और अंशतः केन्द्र सरकार द्वारा धृत है ;

(ग-2) "विकास" का इसके व्याकरणिक भिन्नताओं सहित तात्पर्य है किसी भूमि या भवन पर किसी संगठित क्रियाकलाप को करना जिसमें कोई परिवर्तन भी है जो वित्तीय व्ययों के कारण हुआ है और जिससे दर योग्य मूल्यों में वृद्धि हो सकती है और इसमें पुनर्विकास भी है ;

(ग-3) "आर्थिक क्रियाकलाप" में औद्योगिक, विनिर्माण, वाणिज्यिक, वित्तीय, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लाजिस्टिक, परिवहन, पर्यटन, आतिथ्य सत्कार, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन, शोध और विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, सूचना और संचार, प्रबन्धन और परामर्श, सुविधाओं के विकास और अनुरक्षण से जुड़ी गतिविधियां और सेवायें और ऐसे अन्य आर्थिक क्रियाकलाप है जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ;]

(घ) "औद्योगिक विकास क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा क्षेत्र घोषित करें ;

³[(घ-1) "औद्योगिक टाउनशिप" का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट औद्योगिक टाउनशिप से है ;

(घ-2) "अवसंरचना परियोजना" का तात्पर्य किसी परियोजना से है जिसे ऐसी अवसंरचना, सुख साधन, सुविधाओं या सेवाओं से है, जो विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र के सुगम और उत्कृष्ट कार्यों के लिए अपेक्षित हों, के विकास के लिए लिया गया है या लिया जाना है ;]

(ङ) "अध्यासी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है) जिसके अध्यासन में औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर कोई स्थल या भवन है और "अध्यासी" के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है ;

⁴[(ङ-1) "स्थल" का तात्पर्य किसी भूमि या भवन या दोनों के चिन्हित अंश से है;

1- उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

2- उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 2 (ग) द्वारा बढ़ाया गया ।

3- उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 2 (घ) द्वारा बढ़ाया गया ।

4- उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 2 (ङ) द्वारा बढ़ाया गया ।

(e-2) “Special Investment Region” means an area declared as such by the State Government by notification under sub-section (1-A) of section 3 ;]

(f) “transferee” means a person (including a firm or other body of individuals, whether incorporated or not) to whom any land or building is transferred in any manner whatsoever, under this Act and includes his successors and assigns ;

¹[(f-1) “Unit” means a unit or undertaking set up by a person for the purpose of carrying on any economic activity in the Industrial Development Area/Special Investment region ;

(f-2) “User Charge(s)” means the charges levied by the Authority or any other entity authorized by it.]

(g) the words and expressions “building”, “development”, “to erect a building” and “land” shall have the same meaning as assigned to them in the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

**Constitution
of
the
Authority**

3. ²[(1) the State Government may, by notification, declare an area to be the industrial development area and constitute an authority to be called “(name of the area) industrial development authority” for such industrial development area.

(1-A) The State Government, may by notification, declare any area, determining its geographical boundaries falling within or outside the industrial development area or partly within and partly outside as Special Investment Region and empower the Authority constituted under Sub-section (1) for carrying out the purpose of this Act in respect of such area. The Specified Investment Region shall be called by such name as may be specified by the State Government ;]

(2) The Authority shall be a body corporate.

(3) The Authority shall consist of the following :—

(a) ³ “the Principal Secretary to the *Member—* Government” Uttar Pradesh, Public Works *Chairman.* Department or his nominee not below the rank of ³“Special Secretary” — *ex-officio*

⁴[Provided that the Chairman of the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation shall be ex-officio Chairman of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority.]

(b) ³“the Principal Secretary to the *Member.* Government” Uttar Pradesh, Public Works Department or his nominee not below the rank of ³“Special Secretary” — *ex-officio*

1. *Ins.* by sec. 2 (e) of U. P. Act 10 of 2016.

2. *Subs.* by sec. 3 (1) of U. P. Act 10 of 2016.

3. *Subs.* by sec. 3 (3) of U. P. Act 10 of 2016.

4. *Ins.* by sec. 3 (3) (a) of U. P. Act 20 of 2008.

(2343)

(ड-2) "विशेष निवेश क्षेत्र" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1-क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस रूप में घोषित क्षेत्र से है ;]

(च) "अन्तरिती" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, भी सम्मिलित है) जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति से भूमि या भवन अन्तरित किया जाय और "अन्तरिती" के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है ;

¹[(च-1) "इकाई" का तात्पर्य औद्योगिक विकास क्षेत्र या विशेष निवेश क्षेत्र में किसी आर्थिक कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजन से किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किसी इकाई या उपक्रम से है ;

(च-2) "उपभोक्ता प्रभार" का तात्पर्य प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य इकाई द्वारा उद्ग्रहीत प्रभारों से है ।]

(छ) शब्द और पदावलि "भवन", "विकास", "भवन के परिनिर्माण" और "भूमि" के बही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 में उनके लिये दिये गये हैं ।

3- ²[(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, किसी औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए प्राधिकारी घोषित कर सकती है, जिसे (क्षेत्र का नाम) औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहा जायेगा ।

(1-क) राज्य सरकार किसी क्षेत्र को, उसकी भौगोलिक सीमाओं का अवधारण करते हुए, जो औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर या बाहर पड़ती हो या अंशतः भीतर या अंशतः बाहर पड़ती हो, अधिसूचना द्वारा विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है और ऐसे क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने के लिए उपधारा (1) के अधीन गठित प्राधिकरण को सशक्त कर सकती है । विशेष निवेश क्षेत्र को ऐसे नाम से जाना जाएगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें ;]

(2) प्राधिकारी एक निगमित निकाय होगा ।

(3) प्राधिकारी में निम्नलिखित होंगे : —

(क) ³ "सरकार के प्रमुख सचिव" उद्योग विभाग या **सदस्य-अध्यक्ष** उनका नामांकित जो ³"विशेष सचिव" के पद के नीचे का न हो— पदेन

⁴[परन्तु यह कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होगा ।]

(ख) ³"सरकार के प्रमुख सचिव" सार्वजनिक निर्माण **सदस्य** विभाग या उनका नामांकित जो ³"विशेष सचिव" के पद के नीचे का न हो — पदेन

1- उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 2 (ड) द्वारा बढ़ाया गया ।

2- उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 3 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3- उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 3 (3) द्वारा प्रतिस्थापित ।

4- उ० प्र० अधिनियम सं० 20, 2008 की धारा 3 (3) (क) द्वारा बढ़ाया गया ।

(2344)

(c) ¹ “the Principal Secretary to the Government” Uttar Pradesh, Public Works Department or his nominee not below the rank of ¹“Special Secretary” — *ex-officio* Do.

(d) ¹“the Principal Secretary to the Government” Uttar Pradesh, Public Works Department or his nominee not below the rank of ¹“Special Secretary” — *ex-officio* Do.

(e) The Managing Director, U. P. State Industrial Development Corporation — *ex-officio* Do.

(f) Five member sot be nominated by the State Government by notification Do.

(g) Chief Executive Officer *Member-Secretary*

(4) The headquarters of the Authority shall be at such place as may be notified by the State Government.

(5) The procedure for the conduct of the meetings for the Authority shall be such as may be prescribed.

(6) No act or proceedings of the Authority shall be invalid by reason of the existence of any vacancy in or defect in the constitution of the Authority.

Chief Executive Officer

4. (1) The Chief Executive Officer of the Authority shall be appointed by the State Government and he shall be a whole-time officer of the Authority.

(2) The Chief Executive Officer shall be entitled to receive from the funds of the Authority such salaries and allowances and be governed by such conditions of service as may be determined by general or special order of the State Government in this behalf.

(3) The Chief Executive Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified in the regulations or delegated to him by the Authority.

Staff of the Authority

5. (1) Subject to such control and restrictions as may be determined by general or special orders of the State Government, the Authority may appoint such number of officers and employees as may be necessary for the performance of its functions, and may determine their grades and designations.

(2) Subject as aforesaid the officers and employees of the Authority shall be entitled to receive from the funds of the Authority such salaries and allowances and shall be governed by such other conditions of service as may be agreed upon with the Authority.

1. Subs. by sec. 3 (3) of U. P. Act 10 of 2016.

(2345)

(ग) ¹“सरकार के प्रमुख सचिव” स्वायत्त शासन विभाग या उनका नामांकित जो ¹“विशेष सचिव” के पद के नीचे का न हो — पदेन **सदस्य**

(घ) ¹“सरकार के प्रमुख सचिव” वित्त विभाग या उनका नामांकित जो ¹“विशेष सचिव” के पद के नीचे का न हो — पदेन **सदस्य**

(ङ) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम — पदेन **सदस्य**

(च) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नाम-निर्दिष्ट पांच सदस्य **सदस्य**

(छ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी **सदस्य सचिव**

(4) प्राधिकारी का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होता जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे ।

(5) प्राधिकारी के बैठक के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय ।

(6) प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही प्राधिकारी में किसी रिक्ति के होने से या उसके गठन में किसी त्रुटि के होने से अविधिमान्य न होगी ।

4- (1) प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा और वह प्राधिकारी का एक पूर्णकालित अधिकारी होगा ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकारी की निधि से ऐसा वेतन और भत्ता पाने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा जैसी राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जायें ।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाय या प्राधिकारी द्वारा उसे प्रतिनिहित किया जाय ।

5- (1) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जाये, प्राधिकारी उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकता है जितने उसके कृत्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक हों, और उनकी श्रेणी और पदाभिधान अवधारित कर सकता है ।

प्राधिकारी के कर्मचारी-वृन्द

(2) उपर्युक्त के अधीन रहते हुए प्राधिकारी के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकारी की निधि से ऐसा वेतन और भत्ता पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे जिस पर प्राधिकारी के साथ सहमति हो ।

**Creation of
Centralized
Services**

¹[**5-A.** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 5 or in any other law for the time being in force, the State Government may at any time, by notification, create one or more “Industrial Development Authorities Centralized Services” for such posts, as the State Government may deem fit, common to all the Industrial Development Authorities, and may prescribe the manner and conditions of recruitment to and the terms and conditions of service of persons appointed to such service.

(2) Upon creation of an Industrial Development Authorities Centralized Service, officer or employee serving on the posts included in such service immediately before such creation, not being a person governed by the Uttar Pradesh Palika (Centralized) Services Rules, 1966 or serving on deputation, shall, unless he opts otherwise, be absorbed in such service, —

(a) finally, if he was already confirmed in his post, and

(b) provisionally, if he was holding temporary or officiating appointment.

(3) An officer or employee referred to in sub-section (2) may, within three months from the creation of such Industrial Development Authorities Centralized Service communicate to the Government in the Industrial Development Department, his option not to be absorbed in such Centralized Service, failing which he shall be deemed to have opted for final or provisional, as the case may be, absorption in such centralized Service.

(4) Suitability of officer or employee absorbed provisionally, for final absorption in an Industrial Development Authorities Centralized Service, shall be examined in the manner prescribed and if found suitable he shall be absorbed finally.

(5) The services of officer or employee who opts against absorption, or who is not found suitable for final absorption, shall stand determined and he shall, without prejudice to his claim to any leave, pension, provident fund or gratuity which he would have been entitled to, be entitled to receive as compensation from the Industrial Development Authority concerned, an amount equal to —

(a) three month’s salary, if he was a permanent employee ;

(b) one month’s salary, if he was a temporary employee.

Explanation— For the purposes of this sub-section the term ‘salary’ includes dearness allowance, personal pay and special pay, if any.

(6) It shall be lawful for the State Government ro any officer authorized by it in this behalf, to transfer any person holding any post in an Industrial Development Authorities Centralized Service from one Industrial Development Authority to another.]

1[5-क- (1) धारा 5 में या तत्समय वृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी भी समय अधिसूचना द्वारा, ऐसे पदों के लिये, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे, एक या उससे अधिक "औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवाएँ" सृजित कर सकती है जो समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए सामान्य हों और ऐसी सेवा में भर्ती की रीति और शर्तें और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की निबंधन और शर्तें विहित कर सकती है ।

(2) कोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सृजित किये जाने पर, ऐसे सृजन के ठीक पूर्व, ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों पर सेवारत अधिकारी या कर्मचारी, जो उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 द्वारा शासित या, प्रतिनियुक्ति पर सेवारत व्यक्ति न हो, जब तक कि वह अन्यथा विकल्प न दे, ऐसी सेवा में, —

(क) अन्तिम रूप से, यदि वह पहले से ही अपने पद पर स्थायी हो, और

(ख) अनन्तिम रूप से, यदि वह अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्ति धारण किया हो, आमेलित किया जायेगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी या कर्मचारी, ऐसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के सृजन से तीन मास के भीतर सरकार को औद्योगिक विकास विभाग में ऐसी केन्द्रीयित सेवा में आमेलित न किये जाने का अपना विकल्प संसूचित करेगा, जिसमें विफल होने पर यह समझा जायेगा कि उसने ऐसी केन्द्रीयित सेवा में, यथास्थिति, अंतिम या अनन्तिम रूप से आमेलन के लिये लिया है ।

(4) प्राधिकारी या कर्मचारी, जो अनन्तिम रूप से आमेलित हो, औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में अंतिम रूप से आमेलन के लिये उपयुक्तता की परीक्षा विहित रीति से ली जायेगी और यदि उपयुक्त पाया गया तो उसे अंतिम रूप से आमेलित कर लिया जायेगा ।

(5) ऐसे अधिकारी या कर्मचारी, जो आमेलन के विरुद्ध विकल्प देता है या जिसे अंतिम रूप से आमेलन के लिये उपयुक्त न पाया जाय, की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और उसकी किसी ऐसी छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि या उपदान के, जिसे वह पाने का हकदार होता, दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्रतिकर के रूप में निम्नलिखित के बराबर धनराशि पाने का हकदार होगा —

(क) तीन मास का वेतन, यदि वह स्थायी कर्मचारी था ;

(ख) एक मास का वेतन, यदि वह अस्थायी कर्मचारी था ।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के प्रयोजनार्थ शब्द "वेतन" में महंगाई भत्ता, वैयक्तिक वेतन और विशेष वेतन, यदि कोई हो, सम्मिलित है ।

(6) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिये औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एक से दूसरे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरित करना विधिपूर्ण होगा ।]

**Functions of
the Authority**

6. (1) The object of the Authority shall be to secure the planned development of the industrial development areas.

(2) Without prejudice to the generality of the objects of the Authority, the Authority shall perform the following functions :—

(a) to acquire land in the industrial development area, by agreement or through proceedings under the Land Acquisition Act, 1894 for the purpose of this Act ;

(b) to prepare a plan for the development of the industrial development area ;

(c) to demarcate and develop sites for industrial, commercial and residential purposes according to the plan ;

(d) to provide infra-structure for industrial, commercial and residential purposes ;

¹ [(e) to provide amenities and municipal services ;

(f) to allocate and transfer either by way of sale or lease or otherwise plots of land for industrial commercial or residential purposes and such other land uses as per master plan ;

(g) to regulate the erection of buildings and setting up of industries and land uses as per master plan ; and

(h) to lay down the purpose for which a particular site or plot of land shall be used, namely for industrial or commercial or residential purpose or any other specified purpose in such area as per master Plan.]

² [(3) For carrying out or achieving the planned development within the industrial development area, the Authority may incorporate a company or more than one company owned by the Authority either wholly or partly by the State Government and partly by the Central Government, under the provisions of the Companies Act, 2013.

(4) The share capital, the Memorandum of Association and the Articles of Association of the company referred to in sub-section (3) shall be such as may be approved by the Authority from time to time ;

Provided that, in cases where the share capital is partly held by the State Government, the share capital, the Memorandum of the Association and the Articles of Association under this sub-section shall be approved by the State Government.

(5) The company formed under sub-section (3) shall carry out such functions as may be entrusted to it by the Memorandum of Association.

(6) Where in the opinion of the Authority, as a consequence of any development scheme having been executed by the Authority in the

1. *Subs.* by sec. 6 (2) of U. P. Act 10 of 2016.

2. *Ins.* by sec. 6 (2) of U. P. Act 10 of 2016.

(2349)

6- (1) प्राधिकारी का उद्देश्य औद्योगिक विकास क्षेत्रों का सुनियोजित विकास प्राधिकारी के कृत्य सुनिश्चित करना होगा ।

(2) प्राधिकारी के उद्देश्य की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा : —

(क) औद्योगिक विकास क्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये करार द्वारा या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कार्यवाही के माध्यम से, भूमि अर्जित करना ;

(ख) औद्योगिक विकास क्षेत्र के विकास के लिये योजना तैयार करना ;

(ग) योजना के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिये स्थलों का सीमांकन और विकास करना ;

(घ) औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिये अनुरचना की व्यवस्था करना ;

¹[(ङ) नगरपालिका सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

(च) औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए प्लॉट का विक्रय या पट्टा द्वारा या अन्य प्रकार से आवंटन और अंतरण करना एवं मास्टर प्लान के अनुसार ऐसी अन्य भूमि का प्रयोग करना ;

(छ) मास्टर प्लान के अनुसार भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना एवं भूमि के प्रयोग को विनियमित करना ; और

(ज) मास्टर प्लान के अनुसार उस प्रयोजन को अर्थात् ऐसे क्षेत्र में औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन को निर्धारित करना जिसके लिए किसी विशिष्ट स्थल या प्लॉट का उपयोग किया जायेगा ।]

²[(3) औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर सुनियोजित विकास करने के लिए या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण या तो पूर्णतः स्वामित्व वाली या अंशतः प्राधिकरण द्वारा और अंशतः राज्य सरकार द्वारा और अंशतः केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व वाली कोई कम्पनी या एक से अधिक कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन निगमित कर सकती है ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट कम्पनी की अंश पूंजी, संगम ज्ञापन और अनुच्छेद ज्ञापन ऐसे होंगे जैसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किये जाय ;

परन्तु यह कि ऐसे मामलों में जहां अंश पूंजी अंशतः राज्य सरकार द्वारा धारित की जाय वहां अंश पूंजी इस उपधारा के अधीन संगम ज्ञापन और अनुच्छेद ज्ञापन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन बनायी गयी कम्पनी ऐसे कृत्यों को करेगी जैसे इसे संगम ज्ञापन द्वारा सौंपे जाय ।

(6) जहां प्राधिकरण की राय में विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की गयी किसी विकास योजना के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में

1- उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 6 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2- उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 6 (2) द्वारा बढ़ाया गया ।

(2350)

special investment region or the industrial development area, the value of any property in that area which has been benefited by the development, has increased or is likely to increase, the Authority shall be entitled to levy upon the owner of the property or any person having an interest a betterment charge in respect of the increase in value of the property resulting from the execution of the development ;

Provided that, no betterment charge shall be levied in respect of land owned by the Government ;

Provided further that, where any land belonging to the Government has been granted by way of lease or license by the Government to a person, whether any building situate thereon or not, shall be subject to a betterment charge under this sub-section.]

Power to authorize a person to provide infrastructure or amenities and collect tax or fee 1[**6-A.** Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act and subject to such terms and conditions as may be specified in the regulations, the Authority may, by Agreement, authorize any person to provide or maintain or continue to provide or maintain any infrastructure or amenities under this Act and to collect taxes or fees as the case may be, levied therefor.]

Power to the Authority in respect of transfer of land **7.** The Authority may sell, lease or otherwise transfer whether by auction, allotment or otherwise, any land or building belonging to the Authority in the industrial development area on such terms and conditions as it may, subject to any rules that may be made under this Act, think fit to impose.

Power to issue directions in respect of erection of building **8.** (1) For the purposes of Proper planning and development of the industrial development area, the Authority may issue such direction as it may consider necessary, regarding —

(a) architectural features of the elevation or frontage of any building ;

(b) the alignment of buildings on any site ;

(c) the restrictions and conditions in regard to open spaces to be maintained in and around building and height and character of buildings ;

(d) the number of residential buildings that may be erected on any site ;

(e) regulation of erection of shops, workshops, warehouses factories or buildings ;

(f) maintenance of height and position of walls, fences, hedges or any other structure or architecture constructions ;

(g) maintenance of amenities ;

(h) restriction of use of any site for a purpose other than that for which it has been allocated ;

(2351)

किसी सम्पत्ति का मूल्य, जो विकास द्वारा लाभान्वित हुआ हो, बढ़ गया हो या बढ़ने की संभावना हो, वहां विकास के निष्पादन के परिणाम स्वरूप सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि के संबंध में सम्पत्ति के स्वामी या इसमें हितलाभ रखने वाले किसी व्यक्ति पर सुधार प्रभार उद्ग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण हकदार होगा ;

परन्तु यह कि सरकार द्वारा स्वामित्व वाली किसी भूमि के संबंध में कोई सुधार प्रभार उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा ;

परन्तु यह और कि जहां सरकार की कोई भूमि सरकार द्वारा पट्टा पर या लाइसेंस के रूप में किसी व्यक्ति को दी गयी हो, चाहे उस पर कोई भवन स्थित हो या न हो, वहां वह इस उपधारा के अधीन सुधार प्रभार के अधीन होगी ।]

1[6-क- इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे विनियमों में निर्दिष्ट किये जाये, प्राधिकारी, करार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किसी अनुरचना या सुविधा की व्यवस्था करने या अनुरक्षण करने या व्यवस्था या अनुरक्षण करने या व्यवस्था या अनुरक्षण को जारी रखने और उसके लिये उद्ग्रहीत, यथास्थिति कर या फीस का संग्रह करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है ।]

अनुरचना या सुविधा की व्यवस्था करने और कर या फीस का संग्रह करने के लिये किसी व्यक्ति की प्राधिकृत करने की शक्ति

7- प्राधिकारी औद्योगिक विकास क्षेत्र में प्राधिकारी की किसी भूमि या भवन को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले किसी नियम के अधीन रहते हुए, आरोपित करना उचित समझे, नीलाम, आबंटन या अन्य प्रकार से, बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है ।

भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में प्राधिकारी की शक्ति

8- (1) औद्योगिक विकास क्षेत्र के समुचित नियोजन और विकास के प्रयोजनों के लिये प्राधिकारी निम्नलिखित के संबंध में ऐसे निर्देश निर्गत कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे —

भवन के परिनिर्माण के सम्बन्ध में निदेश निर्गत करने की शक्ति

(क) किसी भवन के उत्सेव या अग्र भाग का स्थापत्य स्वरूप ;

(ख) सिकी स्थल के भवनों का संरक्षण ;

(ग) भवनों में और उनके आस-पास रखे जाने वाले खुले-स्थानों के बारे में और भवनों की ऊंचाई और उनके स्वरूप के बारे में निर्बन्धन और शर्तें ;

(घ) किसी स्थल पर परिनिर्मित किये जा सकने वाले आवासीय भवनों की संख्या;

(ङ) दुकानों, कर्मशालाओं, माकेदामों, कारखानों या भवनों के परिनिर्माण का विनियमन ;

(च) दीवाल, घेरा, बाड़ा या किसी अन्य रचना या स्थापत्य निर्माण की ऊंचाई और स्थिति का अनुरक्षण ;

(छ) सुविधा का अनुरक्षण ;

(ज) जिस प्रयोजन के लिये स्थल आबंटित किया गया हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उसका उपयोग करने पर निर्बन्धन,

(i) the means to be provided for proper

(i) drainage of waste water ;

(ii) disposal of industrial waste, and (ii) disposal of town refuse.

(2) Every transferee shall comply with the directions issued under sub-section (1) and shall as expeditiously as possible erect any building or take such other steps as may be necessary to comply with such directions.

**Ban on
erection of
buildings in
contravene-
tion or
regulation**

9. (1) No person shall erect or occupy any building in the industrial development area in contravention of any building regulation made under sub-section (2).

(2) The Authority may,, by notification and with the prior approval of the State Government make regulations to regulate the erection of buildings and such regulations may provide for all or any of the following matters, namely —

(a) the materials to be used for external and partition walls, roofs, floors and other parts of a building and their position or location or the method or construction ;

(b) lay-out plan of the building whether industrial, commercial or residential ;

(c) the height and slope of the roofs and floors or any building which is intended to be used for residential or cooking purposes ;

(d) the ventilation in, or the space to be left about any building or part thereof to secure circulation of air and for the prevention of fire;

(e) the number and height of the story's of any building ;

(f) the means to be provided for the ingress and egress to and from any building ;

(g) the minimum dimension of rooms intended for use as living rooms and sleeping rooms and the provision of ventilation ;

(h) any other matter in furtherance of the proper regulation of erection, completion and occupation of buildings ; and

(i) the certificates necessary and incidental to the submission of plans amended plans and completion reports.

¹[(j) the time limit within which any building shall be required to be erected or repairs, additions, modifications is to be made in an existing building, shall be carried out and after completion thereof a notice of completion of construction of building or repairs, additions or modifications as the case may be, shall be lodged with the Authority and completion certificate obtained therefrom.]

(2353)

(झ) — (1) उच्छिष्ट जल की समुचित निकासी,

(2) औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ के समुचित निस्तारण, और

(3) नगर के कूड़ा-करकट के समुचित निस्तारण की व्यवस्था किये जाने वाले साधन ।

(2) प्रत्येक अन्तरिती उपधारा (1) के अधीन निर्गत निदेशों का पालन करेगा और यथाशक्य शोध किसी भवन का परिनिर्माण करेगा या ऐसे अन्य कदम उठायेगा जो ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये आवश्यक हो ।

9— (1) कोई व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन बनाये गये किसी भवन सम्बन्धी विनियम का उल्लंघन करके औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी भवन का परिनिर्माण या अध्यासन नहीं करेगा ।

विनियमों का
उल्लंघन करके
भवनों के परिनिर्माण
पर रोक

(2) प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भवनों के परिनिर्माण को विनियमित करने के लिये विनियम बना सकता है और ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् —

(क) किसी भवन की बाह्य ओर विभाजक दीवाल, छत, फर्श और अन्य भाग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री और उनकी स्थिति या अवस्थिति या निर्माण की रीति ;

(ख) भवन की विन्यास योजना चाहे वह औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय हो ;

(ग) आवास या रसोईघर के प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए आशयित किसी भवन की छत और फर्श की ऊचाई और ढाल ;

(घ) वायु संचालन को सुनिश्चित करने और अग्नि से रोक-थाम के लिए किसी भवन या उसके भाग में वातायन या उसके पास छोड़ी जाने वाली जगह ;

(ङ) किसी भवन की मंजिलों की संख्या और उनकी ऊचाई ;

(च) किसी भवन में प्रवेश और उससे निर्गम की व्यवस्था हेतु साधन ;

(छ) रहने के कमरे और सोने के कमरे के रूप में उपयोग के लिये आशयित कमरों की न्यूनतम लम्बाई-चौड़ाई और वातायन की व्यवस्था ;

(ज) भवनों के परिनिर्माण, समापन और अध्यासन के समुचित विनियमन को अग्रसर करने के लिए कोई अन्य विषय ;

(झ) प्रमाण-पत्र जो योजना, संशोधित योजना और समापन आख्या को प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक और आनुषंगिक हों ।

¹ [(ज) ऐसी समय-सीमा जिसके भीतर कोई भवन बनाया जाना या विद्यमान भवन में मरम्मत, विस्तार या उपरान्तरण किया जाना अपेक्षित होगा, पूरा किया जायेगा और इसके पश्चात् भवन के निर्माण या यथास्थिति, मरम्मत, विस्तार या उपान्तरण के पूरा होने की सूचना प्राधिकरण में दर्ज करायी जायेगी और उसमें पूर्णता का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा ।]

Power to require proper maintenance of site or building

10. If it appears to the Authority that the conditions or use of any site or building is prejudicially affecting or is likely to affect the proper planning of or the amenities in any part of the industrial development area or the interests of the general public there, it may serve on the transferee or occupier of that site or building a notice requiring him to take such steps and within such period as may be specified in the notice and thereafter to maintain it in such manner as may be specified therein and in case such transferee or occupier fails to take such steps or to maintain it thereafter the Authority may itself take such steps or maintain it, and realize the cost incurred on it from such transferee or occupier.

11. ¹ [(1) For the purposes of providing, maintaining or continuing any amenities in the industrial development area, the Authority may, with the previous approval of the State Government, levy such taxes as it may consider necessary in respect of any site or building on the transferee or occupier thereof, provided that the total incidence of such tax shall not exceed one per cent of the market value of such site, including the site of the building.

Explanation :— For the purposes of this sub-section, the expression ‘market value’ means, the amount of —

(a) consideration, in the case of sale ; or

(b) premium, in the case of lease ; or

(c) the minimum value determined in accordance with the rules made under the Indian Stamp Act, 1899, whichever is more.]

(2) If the State Government considers it necessary or expedient in the public interest, it may, by a general or special order, exempt wholly or partly—any such transferee or occupier or any class thereof from the taxes levied under sub-section (1).

2[Power to Levy toll etc.

11-A. The Authority shall have power to levy and collect toll, for the use of approach roads and other Amenities at such rate and in such manner as may be notified by the State Government, from visitors, to such places of popular resort (including any ancient and historical monuments) within the industrial development area ;

Provided that State Government may by notification, exempt any classes of visitors from the payment of the toll and fix any day in which no toll shall be charged.]

Levy of Additional Stamp Duty -

11-B. (1) The duty imposed by the Indian Stamp Act, 1899 on any deed of transfer of immovable property situated within the

1. Subs. by sec. 11 (1) of U. P. Act 18 of 1995.

2. Ins. by sec. 11 of U. P. Act 10 of 2016.

10- यदि प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी स्थल या भवन की दशा या उपयोग से औद्योगिक विकास क्षेत्र के किसी भाग के समुचित आयोजन पर या सुविधा पर या यहां सामान्य जनता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने की सम्भावना है तो वह उस स्थल या भवन के अन्तरिती या अध्यासी पर नोटिस तामील कर सकता है जिस में उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर करे जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो और उसके पश्चात् उसका अनुरक्षण ऐसी रीति से करे जैसी उसमें विनिर्दिष्ट हो और यदि उसके पश्चात् ऐसा अन्तरिती या अध्यासी ऐसी कार्यवाही करने या उसका अनुरक्षण कर सकता है और उस पर उपगत व्यय ऐसे अन्तरिती या अध्यासी से वसूल कर सकता है ।

स्थल या भवन का समुचित अनुरक्षण करने की अपेक्षा करने की शक्ति

11-¹ [(1) औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे कर का उदग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के संबंध में आवश्यक समझे, उसके अन्तरिती या अध्यासी से कर सकता है, परन्तु कर का कुल भार ऐसे स्थल जिसमें भवन का स्थल भी सम्मिलित है, के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत के अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण : — इस उपधाराके प्रयोजनों के लिए, पद "बाजार-मूल्य" का तात्पर्य निम्नलिखित से है : —

(क) विक्रय की दशा में, प्रतिफल की राशि, या

(ख) पट्टे की दशा में, प्रीमियम की राशि, या

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य की राशि, जो भी अधिक हो ।]

2¹ टोल आदि उदग्रहण करने की शक्ति —

11-क- औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर ऐसे लोकप्रिय विश्राम स्थलों (किसी प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों सहित) के पहुंच मार्गों और अन्य सुख साधनों के उपयोग के लिए प्राधिकरण आगंतुकों से ऐसी दरों और ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, पथकर उदग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए हकदार होगा ;

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा टोल के भुगतान से आगंतुकों के किसी भी वर्ग को छूट प्रदान कर सकती है और ऐसा कोई दिवस नियत कर सकती है जिस पर टोल नहीं लिया जायेगा ।

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का उदग्रहण —

11-ख- (1) औद्योगिक विकास क्षेत्र अथवा विशेष निवेश क्षेत्र या उसके किसी भाग के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेख पर भारतीय

1- उ० प्र० अधिनियम सं० 18, 1995 की धारा 11 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2- उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

Industrial Development Area or Special Investment Region, or any part thereof, as the State Government may, by notification, declare, shall be increased by two percent on the amount or value of the consideration with reference to which the duty is calculated under the said Act.

(2) All collections resulting from the said increase, after the deduction of incidental expenses, if any, and as may be determined from time to time by the State Government, shall be transferred to and appropriated towards suitable head or Fund as notified by the State Government.]

Applications of certain provisions of President's Act XI of 1973

12. The provisions of Chapter VII and sections 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 and 58 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, as re-enacted and modified by the Uttar Pradesh President's Act (Re-enactment with Modifications) Act, 1974, shall mutatis mutandis apply to the Authority with adaptation that —

(a) any reference to the aforesaid Act shall be deemed to be a reference to this Act ;

(b) any reference to the Authority constituted under the aforesaid Act shall be deemed to be a reference to the Authority constituted under this Act ; and

(c) any reference to the Vice-Chairman of the Authority shall be deemed to be a reference to the Chief Executive Officer of the Authority.

No Panchayat for industrial township

1[12-A. Notwithstanding anything contained to the contrary in any Uttar Pradesh Act, where an industrial development area or any part thereof is specified to be an industrial township under the proviso to clauses (1) of Article 243-Q of the Constitution, such industrial development area or part thereof, if included in a Panchayat area, shall, with effect from the date of notification made under the said proviso, stand excluded from such Panchayat area and no Panchayat shall be constituted for such industrial development area or part thereof under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 or the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961, as the case may be, and any Panchayat constituted for such industrial development area or part thereof before the date of such notification shall cease to exist.

Explanation :— The expression “Panchayat and Panchayat area” shall have the meanings respectively assigned to them in part IX of the Constitution.]

2[12-B. (1) The Governor may, by notification, specify under Article 243Q of the Constitution of India, the whole of Special Investment Region or the Industrial Development Area or any part thereof to be an Industrial Township.

1. *Ins.* by sec. 12 of U. P. Act 04 of 2001.

2. *Ins.* by sec. 12 of U. P. Act 10 of 2016.

(2357)

स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा अधिरोपित स्टाम्प शुल्क में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे, उस प्रतिफल, जिसके सन्दर्भ में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क आँगणित किया है, की धनराशि अथवा उसके मूल्य पर दो प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी ।

(2) उक्त वृद्धि से प्राप्त समस्त संग्रह, आनुषंगिक व्ययों की कटौती के पश्चात्, यदि कोई हो, और जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित किया जाय, को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उपयुक्त लेखा-शीर्षक या निधि में हस्तान्तरित किया जायेगा और विनियोजित किया जायेगा ।]

12- उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय 6 और धारा 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 और 58 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, प्राधिकारी पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे कि —

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

(क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जायगा ;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा ; और

(ग) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकारी के मुख्य कार्य-पालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा ।

¹ [**12-क-** किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहाँ कोई औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका कोई भाग संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाय, वहाँ ऐसा औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका भाग, यदि किसी पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित हो, उक्त परन्तुक के अधीन की गई अधिसूचना के दिनांक से, ऐसे पंचायत क्षेत्र से अपवर्जित हो जायगा और ऐसे औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसके भाग के लिए यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 या उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन कोई पंचायत गठित नहीं की जायगी, और ऐसी अधिसूचना के दिनांक के पूर्व ऐसे औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसके भाग के लिए गठित पंचायत समाप्त हो जायगी ।

औद्योगिक नगरी के लिए पंचायत नहीं होगी

स्पष्टीकरण : — पद "पंचायत" और "पंचायत क्षेत्र" का तात्पर्य वही होगा जो संविधान के भाग नौ में क्रमशः उनके लिये दिये गये हैं ।]

² [**12-ख-** (1) राज्य पाल अधिसूचना द्वारा, भारत का संविधान के अनुच्छेद-243-थ के अधीन विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्र या इसके किसी भाग को एक औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं ।

1- उ० प्र० अधिनियम सं० 04, 2001 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया ।

2- उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया ।

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in any Uttar Pradesh Act, where an special investment region or industrial development area or any part thereof is specified to be an Industrial Township under the proviso to clause (1) of Article 243Q of the Constitution of India, such industrial development area or part thereof, falling in a Municipality shall from the date of notification stand excluded from that Municipality area and all powers and functions performed with respect to such area shall be exercised or performed by the Authority.

Explanation :— The expression “Municipality” shall have the meaning assigned to it in Part IX or Part IX-A of the Constitution of India.]

Imposition of penalty and mode of recovery of arrears

13. Where any transferee makes any default in the payment of any consideration money or installment thereof or any other amount due on account of the transfer of any site or building by the Authority or any rent due to the Authority in respect of any lease, or where any transferee or ¹“Occupier makes any default in payment of any amount of” in the payment of any fee or tax levied under this Act, the Chief Executive Officer may direct that in addition to the amount of arrears, a further sum not exceeding that amount shall be recovered from the transferee or occupier, as the case may be, by way of penalty.

²[**13-A.** Any amount payable to the Authority under section 13 shall constitute a charge over the property and may be recovered as arrears of land revenue or by attachment and sale of property in the manner provided under sections 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513 and 514 of the Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959 (Act no. 2 of 1959) and such provisions of the said Act shall mutatis mutandis apply to the recovery of dues of an authority as they apply to the recovery of a tax due to a Municipal Corporation, so however, that references in the aforesaid sections of the said Act to ‘Municipal Commissioner’, ‘Corporation Officer’ and ‘Corporation’ shall be construed as references to ‘Chief Executive Officer’ and ‘Authority’ respectively ;

Provided that more than one modes of recovery shall not be commenced or continued simultaneously.]

For feature for breach of conditions of transfer

14. (1) In the case of non-payment of consideration money or any installment thereof on account of the transfer by the Authority of any site or building or in case of breach of any condition of such transfer or breach of any rules or regulations made under this Act, the Chief Executive Officer may resume the site or building so transferred and may further forfeit the whole or nay part of the money, if any, paid in respect thereof.

1. Subs. by sec. 11 (1) of U. P. Act 18 of 1995.

2. Ins. by sec. 13 of U. P. Act 10 of 2016.

(2359)

(2) उत्तर प्रदेश अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन जहां कोई विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका कोई भाग औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विनिर्दिष्ट है, वहां ऐसा औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका भाग, नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित हो, अधिसूचना के दिनांक से ऐसे नगर पालिका क्षेत्र से अपवर्जित हो जायेगा और ऐसे क्षेत्र के संबंध में समस्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण : — पद "नगर पालिका" का वहीं अर्थ होगा जो भारत का संविधान के भाग नौ या भाग नौ-क में इसके लिए समनुदेशित है ।]

13- जहां कोई अन्तरिती किसी प्रतिफल-धन या उसकी किस्त या प्राधिकारी द्वारा, किसी स्थल या भवन के अन्तरण के कारण देय किसी अन्य राशि या किसी पट्टा के सम्बन्ध में प्राधिकारी को देय किसी किराये का भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है या जहां कोई अन्तरिती या ¹"अध्यासी इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किसी फीस या कर की किसी धनराशि क भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है" वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह निदेश दे सकती है कि बकाया राशि के अतिरिक्त, उस राशि से अनधिक धनराशि यथास्थिति, अन्तरिती या अध्यासी से शास्ति के रूप में वसूली की जायगी ।

शास्ति का आरोपण
और बकाया की
वसूली की रीति

²[**13-क-** धारा 13 के अधीन प्राधिकरण को देय कोई धनराशि सम्पत्ति पर प्रभार होगी और उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1959) की धाराओं 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513 और 514 के अधीन उपबंधित रीति से सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय करके वसूल किया जा सकेगा, और उक्त अधिनियम के ऐसे उपबंध किसी प्राधिकरण के देयों की वसूली के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होने जैसे ये किसी नगर निगम को देय कर की वसूली में लागू होते हैं यथापि उक्त अधिनियम की पूर्वोक्त धाराओं में "नगर आयुक्त" "निगम अधिकारी और निगम" को किये गये संदर्भ के अर्थ क्रमशः "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" और "प्राधिकरण" के संदर्भ में लगाये जायेंगे ;

परन्तुक यह कि वसूली के एक से अधिक तरीके एक साथ आरम्भ या जारी नहीं रखे जायेंगे ।]

14- (1) प्राधिकारी द्वारा किसी स्थल या भवन के अन्तरण के फलस्वरूप प्रतिफल-धन या उसके किसी किस्त के अंशदान की स्थिति में ऐसे अन्तरण की किसी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में या इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी नियम या विनियम के उल्लंघन की स्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस प्रकार अन्तरित स्थल या भवन को पुनः ग्रहण कर सकता है और उसके सम्बन्ध में संदत्त सम्पूर्ण धन या उसके किसी भाग का, यदि कोई हो, समपहरण कर सकता है ।

अन्तरण की शर्तों के
उल्लंघन के लिए
समपहरण

1- उ० प्र० अधिनियम सं० 18, 1995 की धारा 11 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2- उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया ।

(2360)

(2) Where the Chief Executive Officer orders resumption of any site or building under sub-section (1) the Collector may, on his requisition, cause possession thereof to be delivered to him and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

Penalty

15. Any person who contravenes any provisions of this Act, or rules or regulations made thereunder or any directions issued under section 8, shall on conviction be punishable with fine which may extend to ¹“fifty thousand rupees” and in the case of a continuing offence with further fine which may extend to one hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

Powers of entry etc.

16. The Chief Executive Officer may authorize any person to enter into or open any land or building with or without assistance, for the purposes of —

(a) making any inquiry, inspection, measurement or survey or taking levels of such land or building ;

(b) examining works under construction or of ascertaining the course of sewers or drains ;

(c) ascertaining whether any building is being or has been erected or re-erected without sanction or in contravention of any sanction given under this Act or the rules and regulations made thereunder and to take such measurements and do any such other acts as may be necessary for such purpose ;

²[(C-1) digging or boring into the sub soil ;

(C-2) setting out boundaries or intended lines of work ;

(C-3) making such level, boundaries and lines by placing marks and cutting trenches ;

(C-4) ascertaining whether any land is being or has been developed in accordance with the Plan and in accordance with the terms and conditions stated in the permission.]

(d) doing any other thing necessary for the efficient administration of this Act ;

Provided that —

(i) no such entry shall be made except between the hours of sunrise and sunset and without giving reasonable notice to the occupier, or if there be no occupier, to the owner of the land or building ;

(ii) sufficient opportunity shall in every instance, be given to enable women, if any, to withdraw from such land or building ;

1. *Subs.* by sec. 15 of U. P. Act 10 of 2016.

2. *Ins.* by sec. 16 (c) of U. P. Act 10 of 2016.

(2361)

(2) जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी स्थल या भवन के पुनर्ग्रहण का आदेश देता है, वहां कलेक्टर, उसके अधियाचन पर, उसका कब्जा उसे दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।

15- कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियमों या धारा 8 के अधीन निर्गत किसी निदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध-दोष होने पर जुर्माना से जो ¹“पचास हजार रुपये” तक हो सकता है, और सतत् अपराध की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माना से दण्डनीय होगा जो प्रथम अपराध के लिये सिद्ध-दोष होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें ऐसा अपराध पूर्ववत् जारी रहे, एक सौ रूपए तक हो सकता है ।

शास्ति

16- मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में निम्नलिखित प्रयोजन के लिए सहायता सहित या रहित प्रवेश करने या उसे खोलने का प्राधिकार दे सकता है —

प्रवेश आदि की शक्ति

(क) कोई जांच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करना या ऐसे भूमि या भवन का दागबेल ;

(ख) निर्माणाधीन कार्य का परीक्षण या सीवर या नाली के मार्ग का पता लगाना ;

(ग) इस बात का पता लगाना कि किसी भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण स्वीकृति के बिना या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन दी गयी स्वीकृति का उल्लंघन करके किया जा रहा है या किया गया है, और ऐसी नाप लेना और कोई ऐसा कार्य करना जो ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ;

²[(ग-1) भूमि के मध्य परत में गड्ढा खोदना या बोरिंग करना ;

(ग-2) चाहारदीवारी बनाना या निर्माण की निर्दिष्ट रेखा बनाना ;

(ग-3) ऐसी तरह, चाहारदीवारी और चिन्ह बनाकर और खाई काटकर रेखा बनाना;

(ग-4) यह सुनिश्चित करना कि क्या किसी भूमि को नक्शा के अनुसार और अनुमति में वर्णित निबन्धों और शर्तों के अनुसार विकसित किया जा रहा है या विकसित किया गया है ।]

(घ) कोई अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक हो ;

परन्तु —

(1) इस प्रकार का कोई प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बीच के सिवाय और अध्यासी को, या यदि कोई अध्यासी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी को, युक्तियुक्त सूचना दिये बिना नहीं किया जायगा ;

(2) प्रत्येक दशा में, महिलाओं को, यदि कोई हों, भूमि या भवन के बाहर चले जाने का पर्याप्त अवसर दिया जायगा ;

1- उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2- उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 16 (ग) द्वारा बढ़ाया गया ।

(iii) due regard shall always be had, so far as may be compatible with the exigencies of the purposes for which the entry is made, to the social and religious usages of the occupants of the land or building entered.

Punishment for obstruction, imposition of penalty, sealing etc.

¹[**16-A.** Any person who obstructs the entry of a person authorized under section 16 upon any land or building shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

Power to levy, assess, recover user charges

16-B. (1) When it appears to the Chief Executive Officer or the officer authorized by him that any particular development scheme is sufficiently advanced to enable the amount of the user charge to be determined, the Chief Executive Officer or the officer authorized by him may by an order made in that behalf, declare that for the purpose of determining the User Charges the execution of the scheme shall be deemed to have been completed and shall thereupon give notice in writing to the owner of the property or person having an interest therein that it is proposed to assess the amount of the User charge in respect to the property mentioned in the notice.

(2) The Chief Executive Officer or the officer authorized by him shall assess the amount of User Charges payable by the person concerned after giving such person an opportunity of being heard.

(3) Any person aggrieved by the order of assessment passed under sub-section (2), may, within ninety days from the date of the notice in writing of such assessment inform the Chief Executive Officer or the officer authorized by him in that behalf by a declaration in writing that he accepts the assessment or objects to it.

(4) Where the order of assessment passed under sub-section (2) is accepted by the person concerned within the period specified in such assessment shall become final and the person concerned shall make payment of the User Charges within the time specified in the assessment order.

(5) If the person concerned objects to the Assessment order passed under sub-section (2), then the person concerned may file an appeal before the Appellate Authority within a period of ninety days from the date of receipt of the assessment order passed under sub-section (2) and the Appellate Authority may dispose of the appeal within a period of six months from the date of receipt of the appeal. The order passed by the Appellate Authority in appeal shall be final.

(6) The State Government may nominate an officer not below the rank of the Principal Secretary to the State Government as the Appellate Authority.

(2363)

(3) जिस भूमि या भवन में प्रवेश करना हो उसके अध्यासियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदा सम्यक् ध्यान रखा जायगा जहां तक कि उस प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया जाता है ।

11-क- (1) किसी व्यक्ति को, जो धारा 16 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी भूमि पर या भवन में प्रवेश करने में बाधा डालता है कारावास से, जो छह माह तक हो सकता है या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

बाधा डालने, शास्ति का अधिरोपण करने बन्द आदि करने के लिए दण्ड

16-ख- (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को जब ऐसा प्रतीत हो कि किसी विशिष्ट विकास योजना की इतनी पर्याप्त प्रगती होगी कि प्रयोक्ता प्रभार की धनराशि निर्धारित की जाय तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त आदेश द्वारा घोषित करेगा कि प्रयोक्ता प्रभार का निर्धारण करने के प्रयोजन से योजना का निष्पादन पूर्ण किया हुआ समझा जायेगा और सम्पत्ति के स्वामी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को लिखित रूप से नोटिस देगा कि नोटिस में उल्लिखित सम्पत्ति के संबंध में प्रयोक्ता प्रभार की धनराशि का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है ।

उद्ग्रहण, निर्धारण, प्रयोक्ता प्रभार के उद्ग्रहण की शक्ति

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संबंधित व्यक्ति द्वारा देय प्रयोक्ता प्रभार की धनराशि का, ऐसे व्यक्ति को आपत्तियां दाखिल करने और मौखिक सुनवाई के लिए सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निर्धारित करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित निर्धारण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्धारण की लिखित नोटिस के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को लिखित रूप में घोषणा द्वारा सूचित करेगा कि वह निर्धारण को स्वीकार करता है या इस पर आपत्ति करता है ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन पारित निर्धारण के आदेश को संबंधित व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रयोक्ता प्रभारों को स्वीकार कर लिया जाय वहाँ ऐसा निर्धारण अन्तिम होगा और संबंधित व्यक्ति निर्धारण आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रयोक्ता प्रभार का भुगतान करेगा ।

(5) यदि संबंधित व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन पारित निर्धारण आदेश पर आपत्ति करता है तो संबंधित व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश निर्धारण की प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है और अपीलीय प्राधिकारी अपील की प्राप्ति के दिनांक से छह माह के भीतर अपील का निस्तारण करेगा । अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा ।

(6) राज्य सरकार के प्रमुख सचिव से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकती है ।

(7) The User Charges levied under this Act shall be payable in such number of installments, as may be fixed by regulations made in that behalf.

(8) The arrears of User Charges shall be recoverable as the arrears of land revenue, and shall constitute a charge over such property.]

Overriding effect of the Act.

17. Upon any area being declared an industrial development area under the provisions of this Act, such area, if included in the master plan or the zonal development plan under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, or any other development plan under any other Uttar Pradesh Act, shall, with effect from the date of such declaration be deemed to be excluded from any such plan.

Power to make rules.

18. The State Government may by notification, make rules for carrying out the purposes for this Act.

Power to make regulations.

19. (1) The Authority may with the previous approval of the State Government, make regulation not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder for the administration of the affairs of the Authority.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulation may provide for all or any of the following matters, namely —

(a) the summoning and holding of meetings of the Authority, the time and place where such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings, and the number of members necessary to form a quorum thereat ;

(b) the powers and duties of the Chief Executive Officer ;

(c) the form of register of application for permission to erect a building ;

(d) the management of properties of the Authority ;

(e) fees to be levied in the discharge of its functions ;

(f) such other matters as are to be provided for in regulation.

(2365)

(7) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत प्रयोक्ता प्रभार किशतों की ऐसी संख्या में देय होगा, जैसा इस निमित्त बनायी गयी विनियमावली में नियत किया जाय ।

(8) प्रयोक्ता प्रभार का कोई भी बकाया भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य होगा और ऐसी सम्पत्ति पर प्रभार के रूप में होगा ।]

17- किसी क्षेत्र की इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित किये जाने पर, ऐसे क्षेत्र को, यदि वह उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना, या किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य विकास योजना में सम्मिलित हो, ऐसी घोषणा के दिनांक किसी ऐसी योजना से अलग समझा जायगा ।

अधिनियम का
अधिभावी प्रभाव

18- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कर््यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

नियम बनाने की
शक्ति

19- (1) प्राधिकारी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकारी के कार्यकलाप के प्रशासन के लिए विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो ।

विनियम बनाने की
शक्ति

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती, शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् —

(क) प्राधिकारी की बैठक बुलाना और करना, वह समय और स्थान जब और जहां ऐसी बैठक होगी, ऐसी बैठक में कार्य-संचालन, और उसमें गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या जो आवश्यक हो ;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य ;

(ग) भवन के परिनिर्माण की अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र रजिस्टर का प्रपत्र ;

(घ) प्राधिकारी की सम्पत्तियों का प्रबंध ;

(ङ) अपने कृत्यों के निर्वहन में उद्ग्रहण की जाने वाली फीस ;

(च) ऐसे अन्य विषय जिनकी विनियम में व्यवस्था की जाय ।

